पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 4161-A/अका./2015 रायपुर, दिनांक 20/07/2015

प्रति,

1. **अध्यक्ष,**
   समस्त अध्ययनशाला,
2. **प्राचार्य/संचालक,**
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
   रायपुर (छ.ग.)

विषय: निर्धारित समावधि में महाविद्यालय में स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित कराने विषयक।

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्र. 2880/4493/2015/38–1 दिनांक 17.07.2015 के द्वारा शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक स्टाफ की निर्धारित समावधि में महाविद्यालय में स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र की प्रति संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 4162-A /अका./2015 रायपुर, दिनांक 20/07/2015

प्रतिलिपि :

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

2880
क्रमांक / 4493/2015/38–1 नया रायपुर, दिनांक 17/07/2015

प्रति,

प्राचार्य,
सर्व शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़.

विषय : निर्धारित समयावधि में महाविद्यालय में स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित कराने विषयक।

—00—

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 4791/2014/38 नया रायपुर, दिनांक 31/10/2014 के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि महाविद्यालय में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ निर्धारित समय में महाविद्यालय में उपस्थित हो तथा प्रतिदिन निर्धारित घण्टों की अवधि महाविद्यालय में व्यतीत कर अपनी शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों का निष्पादन करें।

गत् वर्षो की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ हैं कि स्नातक प्रथम वर्ष के लगभग दो तिहाई विद्यार्थी उत्तीर्ण भी नहीं हो पाते हैं। यह स्थिति चिंताजनक है। कृपया अपने महाविद्यालय के शिक्षकों के साथ महाविद्यालय के विद्यार्थियों की कक्षा–वार तथा शिक्षक–वार समीक्षा करें। उन्हें आगाह करें कि भविष्य में उनके द्वारा अध्यापन किये गये विषयों/पेपर में विद्यार्थियों की सफलता के प्रतिशत का उल्लेख भी उनके गोपनीय चरित्रावली में किया जावेगा।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय प्रतिदिन 10.30 से संध्या 5.30 बजे तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) खुला रहेगा। प्राचार्य सहित सभी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ इस अवधि में महाविद्यालय में उपस्थित रहें। जहाँ दो पाली में कक्षाऐं संचालित की जा रही है, वहाँ भी दोनों पाली में न्यूनतम 7 घण्टे की उपस्थिति अनिवार्य होगी। शिक्षकगण अपने शैक्षणिक कार्यो के साथ–साथ शेष समय में महाविद्यालय प्रशासन को गैर शैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग दें। इस हेतु शिक्षकों के निर्धारित शैक्षणिक घण्टों के अनुसार शिक्षण–प्रशिक्षण गतिविधियों की समय सारिणी बनवाकर उन्हें अन्य प्रशासनिक/पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियों (जैसे– एन.एस.एस., एन.सी.सी., योग, यूथ रेड क्रास आदि) की जिम्मेदारी सौंपते हुए उनके शिक्षण–प्रशिक्षण से बचे समय का उपयोग महाविद्यालय हित में करवायें। यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश अनुसार शिक्षकों को प्रतिदिन 7 घण्टे महाविद्यालय में उपस्थित रहकर शैक्षणिक गतिविधियों को पूर्ण करना है। शैक्षणिक कार्यो में अध्यापन के अतिरिक्त ट्यूटोरियल, सेमीनार, लाइब्रेरी में अध्ययन, रिमेडियल कक्षा का संचालन, शोध, परियोजना मार्गदर्शन आदि शामिल है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि महाविद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ की महाविद्यालय में पूर्णकालिक उपस्थिति एवं उनकी सेवाओं को महाविद्यालय हित में लेने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्राचार्य की है। सत्र अवधि में उच्च अधिकारियों द्वारा महाविद्यालय के भ्रमण के दौरान उक्त दिशा निर्देशों के सही अनुपालन के न हो पाने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ0 बी.एल. अग्रवाल)
o/c सचिव
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन कमांक / 4493 / 2015 / 38–1 नया रायपुर, दिनांक / 07 / 2015

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, नया रायपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय————
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
7. समस्त संभाग आयुक्त, छत्तीसगढ
8. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़
9. अपर संचालक (उ.शि.वि.), क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर
10. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय————
11. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय ....
12. प्राचार्य, समस्त अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय————

–की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग